

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 07]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 5, 2015/पौष 15, 1936

No. 07]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 5, 2015/PAUSHA 15, 1936

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 12 नवंबर, 2014

विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम)

(चतुर्थ संशोधन) विनियमावली, 2014

सा.का.नि. 7(अ)—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (ए) और धारा 47 की उप-धारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा, समय-समय पर यथा संशोधित, विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2004 (7 जुलाई 2004 की अधिसूचना सं. फेमा.120/आरबी-2004) (जिसे इसके आगे मूल विनियमावली अथवा अधिसूचना कहा गया है) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- (i) ये विनियम, विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (चतुर्थ संशोधन) विनियमावली, 2014 कहलाएंगे।
- (ii) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. विनियम 19ए में संशोधन

मौजूदा विनियम 19ए निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:

"19ए. भारत के स्वामित्व (Proprietorship) प्रतिष्ठान/अपंजीकृत भागीदारी फर्म द्वारा समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा, समय-समय पर, विनिर्दिष्ट समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश संबंधी मानदण्डों को पूरा करने वाले भारत के स्वामित्व (Proprietorship) प्रतिष्ठान/अपंजीकृत भागीदारी फर्म भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति से भारत से बाहर संयुक्त उद्यम(JV)/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी(WOS) स्थापित / अधिग्रहीत कर सकते हैं।"

3. अनुसूची II में संशोधन

मौजूदा अनुसूची II को हटाया जाता है।

[सं.फेमा. 325/आरबी-2014]

सी. डी. श्रीनिवासन, मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी:

मूल विनियमावली भारत सरकार के सरकारी राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में 19 नवंबर 2004 के सा.का.नि. 757(अ) द्वारा प्रकाशित और तदुपरांत निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गई थी :-

सा.का.नि. 220 (अ) दिनांक अप्रैल 7, 2005,
 सा.का.नि. 337 (अ) दिनांक मई 27, 2005,
 सा.का.नि. 552 (अ) दिनांक अगस्त 31, 2005,
 सा.का.नि. 535 (अ) दिनांक सितंबर 6, 2006,
 सा.का.नि. 13 (अ) दिनांक जनवरी 5, 2008,
 सा.का.नि. 209 (अ), दिनांक मार्च 25, 2008,
 सा.का.नि. 676 (अ), दिनांक सितंबर 24, 2008,
 सा.का.नि. 756 (अ), दिनांक अक्तूबर 31, 2008,
 सा.का.नि. 108 (अ), दिनांक फरवरी 20, 2009,
 सा.का.नि. 301(अ), दिनांक मई 1, 2009,
 सा.का.नि. 441(अ), दिनांक जून 23, 2009,
 सा.का.नि. 609(अ), दिनांक अगस्त 28, 2009,
 सा.का.नि. 607(अ), दिनांक अगस्त 3, 2012,
 सा.का.नि. 609(अ), दिनांक अगस्त 3, 2012,
 सा.का.नि. 947(अ), दिनांक दिसंबर 31, 2012,
 सा.का.नि. 345(अ), दिनांक मई 29, 2013,
 सा.का.नि. 516(अ), दिनांक जुलाई 30, 2013,
 सा.का.नि. 529(अ), दिनांक अगस्त 05, 2013,
 सा.का.नि. 552(अ), दिनांक अगस्त 14, 2013
 सा.का.नि. 323(अ), दिनांक मई 07, 2014
 सा.का.नि. 489(अ), दिनांक जुलाई 11, 2014 और
 सा.का.नि. _____ दिनांक _____

RESERVE BANK OF INDIA
(Foreign Exchange Department)

(CENTRAL OFFICE)

NOTIFICATION

Mumbai, the 12th November, 2014

**Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of any
Foreign Security) (Fourth Amendment) Regulations, 2014**

G.S.R. 7(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of Section 6 and sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Any Foreign Security) Regulations 2004 (Notification No. FEMA.120/RB-2004 dated July 7, 2004), as amended from time to time, (hereinafter called the Principal Regulations or the Notification) namely:-

1. Short Title & Commencement

- (i) These Regulations shall be called the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Any Foreign Security) (Fourth Amendment) Regulations, 2014.
- (ii) They shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.

2. Amendment to Regulation 19A

The existing Regulation 19A shall be substituted with the following, namely:

“19A. Overseas Direct Investments by Proprietorship Concern / Unregistered Partnership Firm in India

A proprietorship concern or an unregistered partnership firm in India, satisfying the criteria for Overseas Direct Investment as prescribed by the Reserve Bank from time to time, may set up / acquire a Joint Venture (JV) / Wholly Owned Subsidiary (WOS) outside India with the prior approval of the Reserve Bank.”

3. Amendment to Schedule II

The existing Schedule II stands deleted.

[No. FEMA. 325/ RB-2014]

C. D. SRINIVASAN, Chief General Manager

Foot Note:

The Principal Regulations were published in the Official Gazette of GOI vide G.S.R. No 757 (E) dated November 19, 2004 – in Part II, Section 3, Sub-section (i) and subsequently amended vide:-

- G.S.R. No. 220 (E) dated April 7, 2005,
G.S.R. No. 337 (E) dated May 27, 2005,
G.S.R. No. 552 (E) dated August 31, 2005,
G.S.R. No. 535 (E) dated September 6, 2006,
G.S.R. No.13 (E) dated January 5, 2008,
G.S.R. No. 209(E) dated March 25, 2008,
G.S.R. No.676 (E) dated September 24, 2008,
G.S.R. No.756 (E) dated October 31, 2008,
G.S.R. No.108 (E) dated February 20, 2009,
G.S.R. No. 301(E) dated May 1, 2009,

G.S.R. No. 441(E) dated June 23, 2009,
G.S.R. No. 609(E) dated August 28, 2009,
G.S.R. No. 607(E) dated August 3, 2012,
G.S.R. No. 609(E) dated August 3, 2012,
G.S.R. No. 947(E) dated December 31, 2012,
G.S.R. No. 345(E) dated May 29, 2013,
G.S.R. No. 516(E) dated July 30, 2013,
G.S.R. No. 529(E) dated August 05, 2013,
G.S.R. No. 552(E) dated August 14, 2013,
G.S.R. No. 323(E) dated May 07, 2014
G.S.R. No. 489(E) dated July 11, 2014 and
G.S.R. No. _____ dated _____